1

2019/00074

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

~~कृष्णलाल बनाम ग्राम पंचायत सावंतसर व अन्य~~

अपील प्रकरण सं0 17/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
02.04.2019	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अपील वाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनने हेतु निवेदन किया। एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने उप–तहसीलदार (राजस्व) हिन्दूमलकोट के आदेश दिनांक 22.02.2019 प्रकरण संख्या 01/2019 जिसकी रूह से कृषि भूमि वाके चक शर्कज नहर कोठा तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 10 की 0.265 हैक्टर तथा मुरब्बा नम्बर 11 की 0.466 हैक्टेयर कुल 0.731 हैक्टयर की नाजायज काश्त के सम्बन्ध में तावान किया गया तथा तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया के विरूद्व स्थगन चाहा गया है। उक्त प्रकरण में स्थगन स्टेट के विरूद्व चाहा गया गया जिस पर एक पक्षीय स्थगन दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्टेट को सुना जाना आवश्यक है। नोटिस जारी हों। पत्रावली वास्ते स्थगन प्रार्थना पत्र की बहस, तलबी एवं रिकार्ड तलबी हेतु दिनांक 22.04.2019 को पेश हो। [signature]	G.A. 5/4
15/4/19	अपीलार्थी अधिवक्ता उप० प्रार्थी द्वारा सुनवाई हेतु पत्रावली आज ही पेशी में ली जाने हेतु प्रा०पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 16/4/19 को पेश हो [signature]	
16.4.2019	राजकीय अधिवक्ता एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। ~~स्थगन इस आशय का जारी किया जाता है कि~~ प्रार्थी अधिवक्ता ने कहा कि अपीलाधीन आदेश प्रार्थी को बिना सुने पारित किया गया है, ऐसे में यदि उक्त आदेश को फिलहाल स्थगित नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। ऐसे में अपील का औचित्य ही समाप्त हो जाएगा। राजकीय अधिवक्ता ने इस पर अनापत्ति जाहिर की। अतः प्रार्थना पत्र अपीलार्थी बाबत स्थगन स्वीकार किया जाता है अपीलाधीन उप तहसीलदार हिन्दूमलकोट का आदेश दिनांक 22.02.2019 की क्रियान्विति ता फैसला अपील स्थगित की जाती है पत्रावली निर्धारित दिनांक 22.4.2019 को पेश हो। [signature]	H.S. G.A. Adv. [signature]

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

11/3/26

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण
आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त
है। पत्रावली दिनांक 07/4/26 को पेश हो।

07.4.26 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा गया, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22.4.26 को पेश हो।

22/4/26

बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण
आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं।
पीठासीन अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त
है। पत्रावली दिनांक 20.5.26 को पेश हो।

20/5/26 अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अवगत करवाया कि उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट के प्रकरण संख्या 01/2019 अनवानी सरकार बनाम टहल सिंह के मुरब्बा नम्बर 10 की 0.265 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 11 की 0.466 हैक्टर कुल 0.731 हैक्टेयर की नाजायज काश्त के सम्बन्ध में उप तहसीलदार हिन्दुमलकोट के आदेश दिनांक 22.02.2019 के विरूद्व अपीलार्थी द्वारा एस.बी. सिविल रिट पेटीशन नम्बर 16924/2019 अनवानी टहल सिंह बनाम स्टेट व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की हुई है जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.04.2021 द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में उक्त एस.बी. सिविल रिट पेटीशन नम्बर 16924/2019 अनवानी टहल सिंह बनाम स्टेट व अन्य के विचाराधीन रहने तक विचाराधीन अपील को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आगामी आदेश तक स्थगित किये जाने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनानुसार उक्त अपील को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश के इन्तजार में स्थगित किया जाता है। नायब तहसीलदार हिन्दुमलकोट को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के एस.बी. सिविल रिट पेटीशन नम्बर 16924/2019 अनवानी टहल सिंह बनाम स्टेट व अन्य का निर्णय होने पर उक्त अपील को पुनः नये नम्बर पर दर्ज करवाई जाने की कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें।

आदेश सुनाया गया।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर